प्रति

माननीय कुलपति महोदय

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर (म. प्र.)

विषय –एंटी रैगिंग सेल की अनुशंसा पर दिए गए एक तरफा फैसले पर पुनः विचार हेतु बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं , सुरेश चंद्र बोहरा,मेरे बालक जुगल किशोर बोहरा जो की भ.म. कृषि महाविद्यालय खण्डवा के द्विनीय वर्ष का छात्र है, को रैगिंग के मामले में फसाकर गलत कार्यवाही की गई है। वह पीड़ित छात्र से पिछले 3 माह से संपर्क में नहीं है और जिस समय की यह घटना है वह उस समय घर पर था जब इस घटना का पता चला तो मैंने उसे कालेज भेजा, तब से उससे सही से बात नहीं हो पा रही है, वह रोता भी है और उसकी बातों से पता चलता है कि वह कितना परेशान है।

मेरी बात उसके दोस्तों से भी हुई है वे भी बहुत परेशान और हताश निराश है, और मेरे बालक के बारे में बता रहे हैं कि जुगल जबसे फैसला आया है तब से ना तो ठीक से खाना खा रहा है और ना ठीक से सो पा रहा है ना किसी से अच्छे से बातचीत कर रहा है उसे इतनी टेंशन में देखकर हम उसे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। यदि मेरा बालक इस हालत में कुछ गलत कदम उठाता है तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा।

सुरेश

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आपके दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करें और मेरे बालक के भविष्य की ओर ध्यान दें।

प्रार्थी

बालक का पिता

धन्यवाद

दिनांक – 27/07/2022

प्रतिलिपि

- अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खण्डवा (म. प्र.)
- अधिष्ठाता कृषि संकाय , रा. वि. सिं. कृ. त्रि. वि. , ग्वालियर (म.प्र.)
- कुल सचिव, रा. वि. सिं. कृ. वि. वि. , ग्वालियर (म. प्र.)

अधिष्ठाता कृषि संकाय
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर-४७४००२ (म.प्र.)

DEAN FACULTY OF AGRICULTURE
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya
Raja Pancham Singh Marg, Gwalior-474002 (M. P.)

डॉ. दीपक हरि रानडे
Dr. Deepak Hari Ranade
अधिष्ठाता, कृषि संकाय
Dean, Faculty of Agriculture

दूरभाष Phone 0751-2970506 फैक्स Fax 0751-2970507 ई-मेल E-Mail dfa@rvskvv.net

क्र./अ.कृ.सं./2022–23/579 दिनांक: 08/08/2022

प्रति,

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
खण्डवा (म.प्र.)

विषयः छात्र जुगल किशोर के पिता श्री सुरेश चंद्र बोहरा के द्वारा दिये गये पत्र के संबंध में।

संदर्भः पत्र क्र. निरंक ईमेल दिनांक 27 जुलाई, 2022 समय अपरान्ह 2:12 बजे।

उपरोक्त विषयांर्तत एवं संदर्भित ईमेल के क्रम में लेख है कि छात्र जुगल किशोर के पिता श्री सुरेश चंद्र बोहरा के द्वारा प्राप्त आवेदन में अपने पुत्र को रैगिंग के अपराध में फसाए जाने एवं मानसिक परेशान होना बताया गया है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस विषय पर पूर्ण जॉच एवं सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को पूर्ण विवरण (Comment) दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

अधिष्ठाता कृषि संकाय

प्रष्ठाकंन क्र./अ.कृ.सं./2022–23/580 दिनांक: 08/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतुः-

1. कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
2. छात्र जुगल किशोर पिता श्री सुरेश चंद्र बोहरा, बी.एससी. द्वितीय वर्ष, कृषि महा., खण्डवा।
3. माननीय कुलपति के निज सचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।

अधिष्ठाता कृषि संकाय

RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA
KRISHI VISHWA VIDYALAYA, GWALIOR
B. M. COLLEGE OF AGRICULTURE, KHANDWA - 450001
Tel: 91-733-2222119, (O)
Email:- dean.khandwa@rvskvv.net

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
भगवन्तराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय,
खण्डवा (म.प्र.) 450001
दूरभाष : 91-733-2222119 (O)
ई-मेल: dean.khandwa@rvskvv.net

क्रमांक / अधि0 / स्था0 / 2023 / 1770 दिनांक 08 / 11 / 2023

प्रति,

अधिष्ठाता कृषि संकाय,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

विषय :– एम.एससी. (कृषि) पादप रोग विज्ञान के छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत, द्वारा कम्प्रीहेन्सीव परीक्षा में नकल करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में दिनांक 06.11.2023 को महाविद्यालय में आयोजित एम.एससी. (कृषि) पादप रोग विज्ञान के छात्र के लिए वर्ष 2023 – 24 के प्रथम सेमेस्टर की आयोजित कम्प्रीहेन्सीव परीक्षा में छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत, रोल न0 20151801, एम.एससी. (कृषि) अंतिम वर्ष द्वारा मोबाईल से नकल करते हुए पाये गये। इसके पूर्व रैगिंग में लिप्त होने के कारण इनको दो सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित किया गया था।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियम 19.4 (b) के अनुसार अनुचित साधनो का उपयोग करने पर छात्र की वर्तमान सत्र की समस्त परीक्षाओ को निरस्त करने तथा अगले सेमेस्टर में पंजीयन से वंचित करने की महाविद्यालय की अनुशासन समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

R. S. Sisodia
अधिष्ठाता
DEAN
B M College of Agriculture
Khandwa (M P)

प्रतिलिपि :–
1. निदेशक शिक्षण, रा0वि0सि0कृ0वि0वि0, ग्वालियर, (म0प्र0)।

To,
The superintendent of
Examination
BM college of Agriculture,
RVSKVV, Gwalior
Date : 6/11/23

Subject : Regarding reporting of unfair means in examination (Major) by student : Dharampal singh Rajpoot.

Respected sir,

With due respect, the candidate Roll no. 20151801, Dharampal singh Rajpoot was found using unfair means i.e Mobile phone during the major comprehensive exam (Plant Pathology). The mobile phone has been siezed and handed over to the Dean, BM college of Agriculture, Khandwa. Please do the needful action in this regards.

Thanking you.

Your's sincerely
Ayushi Trivedi P.S. Chohar
I/C Examination Hall
BM College of Agriculture
Khandwa (M.P)

Disciplinary Committee
R.S. Sisodia 6/11/23
DEAN
B M College of Agriculture
Khandwa (M.P.)

– कार्यवाही विवरण –

दिनांक 07/11/2023

विषय:- धर्मपाल सिंह राजपूत, छात्र M.Sc. (Ag) द्वारा नकल प्रकरण में अनुशासन समिति की बैठक बाबत्।

दिनांक 06/11/2023 को M.Sc. (Ag.) प्रथम वर्ष के Comprehensive परीक्षा जिसमें शिक्षकगण सुश्री आयुषी त्रिवेदी एवं पी.एस. ठाकुर थे। छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत अनुक्रमांक - 20151801 अपने मोबाईल फोन से नकल करते हुए पाया गया। शिक्षकों ने मोबाईल फोन एवं उत्तर पुस्तिका जब्त कर लिया व लिखित में परीक्षा अधिष्ठाता (अधिष्ठाता महोदय) को रिपोर्ट की गई। छात्र श्री धर्मपाल ने लिखित आवेदन में नकल करने की बात स्वीकार करते हुए क्षमा का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मोबाईल फोन वापस प्राप्त करने का निवेदन किया है।

* विश्वविद्यालय के M.Sc. एवं Ph.D. हेतु निर्धारित विवि. के Academic Regulation (2014-15) के नियम 19.4 (b) (पेज-22) अनुसार अनुचित साधनों का उपयोग करने पर छात्र की वर्तमान सत्र की समस्त परीक्षाओं को निरस्त करने तथा अगले सेमेस्टर में पंजीयन से वंचित किया जाना चाहिए।

* अतः यह समिति छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत की वर्तमान सेमेस्टर की उक्त परीक्षा निरस्त (Cancel) करने व अगले सेमेस्टर में पंजीयन से वंचित (debar) करने की अनुशंसा करती है।

अनुशासन समिती सदस्य — हस्ताक्षर

1. डॉ॰ डी॰ के॰ वाणी (अध्यक्ष)
2. श्री एस॰ के॰ परसाई (सदस्य) 07/11/23
3. डॉ॰ एम॰ के॰ कुरील (सदस्य) } Election duty
4. डॉ॰ एस॰ के॰ आर्सिया (सदस्य) }
5. डॉ॰ पी॰ डी॰ सिंह (सदस्य) 7/11/23
6. डॉ॰ आशीष पटेल (सदस्य) 7/11/23
7. श्रीमती कोमल चौबे (सदस्य) Komal

Secy

R. S. Sisodia 7/11/23

DEAN
B M College of Agriculture
Khandwa (M P)

प्रति
श्रीमान अधिष्ठाता महोदय
भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र)

विषय:- माफीनामा हेतु आवेदन पत्र !

महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं छात्र धर्मपाल सिंह राजपूत भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय खण्डवा के MSc. (Ag) अंतीम वर्ष के अध्ययनरत छात्र हूं। मैं मो. नकल करते हुए पकड़ा गया मैं अगली बार यह गलती नहीं करूंगा।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे क्षमा करने का कष्ट करें ! मुझे मेरा मो. वापस करने की कृपा करे।

धन्यवाद ! आपका आज्ञाकारी छात्र
धर्मपाल सिंह राजपूत
मो. न. - 8817747976
रोलन: 2115180[illegible]
धर्मपाल

दिनांक
6/1/23

Disciplinary Committee
Call a meeting of committee
on 7/1/23 at 4.00 PM
R.S. Sisodia 6/1/23

Estt.

DEAN
B M College of Agriculture
Khandwa (M.P.)

प्रति,
श्रीमान अधिष्ठाता महोदय
भगवन्तराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय
खण्डवा (म.प्र.)

विषय :- मोबाईल वापस लौटाने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं यादवेन्द्र मिश्रा कृषि महाविद्यालय खण्डवा में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हूँ। मैंने अपना मोबाईल M.Sc final year के छात्र धर्मपाल सिंह को दिया था। जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। वह किस कार्य के लिए ले रहे हैं। वह मोबाईल उनके पास से पकड़ा गया।

अतः श्रीमान से निवेदन है, मुझे मेरा मोबाईल लौटाने की कृपा करें। मोबाईल का नाम oneplus 9rt था।

धन्यवाद।

दिनांक
08/11/2023

आपका आज्ञाकारी छात्र
यादवेन्द्र मिश्रा
रोल न. 22150165
[signature]
मोबाईल नंबर ⇒ 7724880452

मो. यादवेन्द्र मिश्रा का था
अधिष्ठाता महोदय से प्राप्त कर
यादवेन्द्र मिश्रा को वापस कर दिया है।

धर्मपाल
Dharmpal Singh
2015801

08/11/23 को oneplus 9rt
मेरा निजी मोबाईल मुझे चालू हाल
में प्राप्त हुआ।
[signature]
यादवेन्द्र मिश्रा

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर

भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा

एंटी रैगिंग कमीटी की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2022 का कार्यवाही प्रतिवेदन

आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय, खंडवा की एंटी रैगिंग कमीटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र श्री हरिओम पाटीदार पुत्र श्री दीपक पाटीदार द्वारा रैगिंग संबंधित शिकायत जो कि छात्र के अभिभावक श्री दीपक पाटीदार द्वारा दिनांक 8.7.2022 को की गई थी, के संबंध में किया गया।

दिनांक 8 जुलाई 2022 को प्रथम वर्ष के छात्र श्री हरिओम पाटीदार द्वारा जहर प्राशन करने की घटना छात्र के गृह ग्राम बड़गांव माली में अपने घर पर ही की गई, जिसके चलते उनके अभिभावकों द्वारा छात्र को दिनांक 8 जुलाई 2022 को जिला अस्पताल, खंडवा में भर्ती करवाया गया था। छात्र के पास से 2 पृष्ठ का पत्र पाया गया, जिसमें रैगिंग संबंधी बातों का उल्लेख किया गया था, परंतु पत्र में किसी के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही किसी विद्यार्थी या अन्य का नाम दिया गया है। छात्र के पिता श्री दीपक पाटीदार द्वारा ही अपनी और से रैगिंग संबंधी शिकायत दिनांक 8 जुलाई 2022 को की गई थी। यहाँ पर इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि उक्त शिकायत के पूर्व कभी भी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों तथा महाविद्यालय के कन्या छात्रावास में निवासरत प्रथम वर्ष की छात्राओं ने रैगिंग अथवा किसी अन्य प्रकार की शिकायत ना तो अधिष्ठाता को की और न ही महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक को की थी।

उक्त शिकायत के संबंध में महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा एंटी रैगिंग कमीटी द्वारा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं को दिनांक 9 जुलाई 2022 को और छात्रों को दिनांक 10 जुलाई 2022 को बुलाया गया तथा मौखिक एवं लिखित में समिति के समक्ष बयान लिये गये। पीड़ित छात्र ने भी स्वस्थ होने पर अपना मौखिक एवं लिखित बयान दिनांक 11 जुलाई 2022 को दिया। इसमें प्रथम वर्ष की कुल 17 छात्राओं ने मौखिक तथा लिखित में तथा प्रथम वर्ष के कुल 28+1 छात्रों ने मौखिक तथा लिखित में अपने बयान दर्ज कराये।

प्रथम वर्ष के छात्र श्री हरिओम पाटीदार तथा अन्य पीड़ित छात्रों के मौखिक तथा लिखित बयानों के आधार पर एंटी रैगिंग कमीटी ने निम्न निष्कर्ष निकाले हैः

(Dr. SK Arora)

R. S. Sisodia

Tishant

- प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं द्वारा पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक शिकायत अधिष्ठाता और न ही महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक को की गई। और न ही इसकी सूचना शिकायत पेटियों (जो कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष कक्षा, कॉरिडोर्स में तथा कन्या छात्रावास में लगी है), एंटी रैगिंग कमीटी को या एंटी रैगिंग हेल्प लाईन (जिनकी जानकारी पोस्टर के माध्यम से महाविद्यालय परिसर में कई जगह तथा छात्रावासों में दी गई है तथा एंटी रैगिंग बाण्ड भी भरवाया गया है) को दी गई। यह सभी प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा कोई भी शिकायत नही की गई थी।
- महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी समय–समय पर सभी प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं से रैगिंग के बारे में पूछा जाता रहा परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नही दी गई। इसको भी प्रथम वर्ष के सभी छात्र–छात्राओं द्वारा स्वीकार किया गया।
- सभी प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं ने किसी भी फेकल्टी/प्राध्यापक के रैगिंग में सम्मिलित होनें अथवा उन्हे इसकी जानकारी होनें की बात पूर्णतः नकारी। छात्रों ने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं देने कि गलती भी स्वीकार की।
- पीड़ित छात्र द्वारा उठाया गया कदम, संभवतः उन्हे प्रथम वर्ष के ही छात्रों द्वारा अपनी बैच से बैच–ऑउट करने (बैच की गतिविधियों से अलग करना तथा बातचीत आदि नहीं करना) के कारण लिया गया और ये कुछ वरिष्ठ छात्रों के दबाव में हुआ है। इसकी पुष्टि प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं के बयानों से होती है।
- छात्रों के बयानों से स्पष्ट हुआ कि उनके साथ प्रशासन को अन्धेरे में रखते हुए चोरी छुपे रैगिंग की घटना की गई है। तथा उनके द्वारा सीनियर छात्रों के कोड नाम भी बताये गये। जबकि कुछ छात्र–छात्राओं ने रैगिंग नहीं होने की बात भी कही। छात्रों ने बताया कि रैगिंग की घटना शुरुआत में 3–4 बार हुई तथा उसके बाद बहुत कम हुई। विगत माह में कोई घटना नही हुई।
- एंटी रैगिंग कमीटी ने प्रथम वर्ष के छात्रों एवं पीड़ित के बयानों के आधार पर तथा तथ्यों पर विचार कर महाविद्यालय के निम्नलिखित छात्रों को रैगिंग का दोषी पाया है, जिनके नामों की पहचान प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा बताये गये वरिष्ठ छात्रों के कोड नाम तथा उनके मोबाइल नम्बर एवं वरिष्ठ छात्रों के फोटो देखकर की गई।

नाम	कोड नाम	अनुक्रमांक	कक्षा
श्री निकेतन पाटीदार	SD Derek	20150121	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री अश्विन	SD Virat	20150104	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री जुगल किशोर बोहरा	SD Pratap	20150114	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री गणेश सिंह पटेल	SD Rudra	20150110	स्नातक द्वितीय वर्ष

(Dr. S.K. Arora) R.S. Sisodia

Tishant

उपरोक्त 04 छात्रों के ऊपर गंभीर आरोप होने के कारण महाविद्यालय की एंटी रैगिंग समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपरोक्त छात्रों को विश्वविद्यालय नियमावली "कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली– 2019" की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के तहत महाविद्यालय से 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने के साथ ही इन छात्रों का अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण करने की अनुसंशा करती है।

- छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत (कोड नाम – MSC Rajpoot)), रोल नम्बर 20151801 एम. एससी. (कृषि) पादप रोग विज्ञान को महाविद्यालय से 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने तथा 2 सेमेस्टर के लिए छात्रावास से निलंबित / निष्कासित करने की अनुसंशा करती है।
- एंटी रैगिंग कमीटी द्वारा पाया गया कि प्रथम वर्ष के छात्रों ने निम्न 05 छात्रों के ऊपर रैगिंग से संबंधित गंभीर आरोप नही लगाए हैं परन्तु इनका रैगिंग में संलिप्त होना ज्ञात होता है:

नाम	कोड नाम	अनुक्रमांक	कक्षा
श्री तरुण यादव	TD Tiger	19150148	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री सूरज पाटीदार	TD Marshal	19150146	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री सावन राठौर	TD Royal	19150136	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री रितेश गुर्जर	SD Robin	20150140	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री संगम बिरले	SD Anshu	20150142	स्नातक द्वितीय वर्ष

उपरोक्त छात्रों के विरुद्ध समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, इन छात्रों को विश्वविद्यालय नियमावली "कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली– 2019" की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के तहत 2 सेमेस्टर के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों को रोकने के साथ ही छात्रावास से निलंबित / निष्कासित करने की अनुसंशा करती है।

- रैगिंग के परिप्रेक्ष्य में ही प्रथम वर्ष की छात्राओं ने द्वितीय वर्ष की निम्नलिखित कुल 6 छात्राओं द्वारा रैगिंग लिए जाने बाबत शिकायत दर्ज कराई। समिति द्वारा रैगिंग न पाते हुए परिचय आदि लेने की बात पाई गई। शिकायतकर्ता छात्राओं ने यह भी निवेदन किया कि उक्त छात्राओं के विरुद्ध महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्यवाही नही की जाए परंतु उनमें सुधार हेतु मामूली रूप से हिदायत दी जाए अथवा दंडित किया जाये। जिन छात्राओं के नाम पर आरोप लगाए गए हैं वो निम्नानुसार है –

(Dr. SK Arora) R.S. Sisodia

Tishant
पवन जारिया

1. कु. योगिता धाकड़ – स्नातक द्वितीय वर्ष
2. कु. भारती तवर – स्नातक द्वितीय वर्ष
3. कु. इतिश्री राठौर – स्नातक द्वितीय वर्ष
4. कु. प्राची पाटीदार – स्नातक द्वितीय वर्ष
5. कु. अदिती दागोंडे – स्नातक द्वितीय वर्ष
6. कु. दीपिका नागर – स्नातक द्वितीय वर्ष

प्रथम वर्ष की छात्राओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वरिष्ठ छात्राओं के विरुद्ध समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, इन वरिष्ठ छात्राओं को विश्वविद्यालय नियमावली ''कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली– 2019'' की कंडिका 14. 22 एवं कंडिका 15.1 के तहत 2 सेमेस्टर के लिए किसी क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समागम/टूर्नामेंट, युवा महोत्सव आदि से वंचित करने की अनुशंसा करती है तथा प्रत्येक छात्रा पर ₹ 1000 के अर्थदण्ड की अनुशंसा करती है। **समिति पीड़ित तथा प्रथम वर्ष के सभी छात्र–छात्राओं की पहचान तथा बयान आदि को पूर्णतः गोपनीय रखने की अनुशंसा करती है।**

सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।21

R. I. Sisodia			Shukla
डॉ. आर. आई. सिसौदिया सदस्य	डॉ. एस. के. अर्सिया सदस्य	डॉ. डी. के. पालीवाल सदस्य	डॉ. रश्मि शुक्ला सदस्य
	Tishant	पवनजाटव	Mandloi
श्री आर. एल. ठाकुर सदस्य	श्री तिशांत पाटीदार सदस्य	श्री पवन जाटव सदस्य	कु. सरिता मण्डलोई सदस्य

डॉ. एस.पी. मिश्र
अध्यक्ष, एंटी रैगिंग कमीटी

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय,खण्डवा

DEAN
B.M. College of Agriculture,
Khandwa (M.P.)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर

भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा

एंटी रैगिंग कमीटी की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2022 का कार्यवाही प्रतिवेदन

आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय, खंडवा की एंटी रैगिंग कमीटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र श्री हरिओम पाटीदार पुत्र श्री दीपक पाटीदार द्वारा रैगिंग संबंधित शिकायत जो कि छात्र के अभिभावक श्री दीपक पाटीदार द्वारा दिनांक 8.7.2022 को की गई थी, के संबंध में किया गया।

दिनांक 8 जुलाई 2022 को प्रथम वर्ष के छात्र श्री हरिओम पाटीदार द्वारा जहर प्राशन करने की घटना छात्र के गृह ग्राम बड़गांव माली में अपने घर पर ही की गई, जिसके चलते उनके अभिभावकों द्वारा छात्र को दिनांक 8 जुलाई 2022 को जिला अस्पताल, खंडवा में भर्ती करवाया गया था। छात्र के पास से 2 पृष्ठ का पत्र पाया गया, जिसमें रैगिंग संबंधी बातों का उल्लेख किया गया था, परंतु पत्र में किसी के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही किसी विद्यार्थी या अन्य का नाम दिया गया है। छात्र के पिता श्री दीपक पाटीदार द्वारा ही अपनी और से रैगिंग संबंधी शिकायत दिनांक 8 जुलाई 2022 को की गई थी। यहाँ पर इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि उक्त शिकायत के पूर्व कभी भी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों तथा महाविद्यालय के कन्या छात्रावास में निवासरत प्रथम वर्ष की छात्राओं ने रैगिंग अथवा किसी अन्य प्रकार की शिकायत ना तो अधिष्ठाता को की और न ही महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक को की थी।

उक्त शिकायत के संबंध में महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा एंटी रैगिंग कमीटी द्वारा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं को दिनांक 9 जुलाई 2022 को और छात्रों को दिनांक 10 जुलाई 2022 को बुलाया गया तथा मौखिक एवं लिखित में समिति के समक्ष बयान लिये गये। पीड़ित छात्र ने भी स्वस्थ होने पर अपना मौखिक एवं लिखित बयान दिनांक 11 जुलाई 2022 को दिया। इसमें प्रथम वर्ष की कुल 17 छात्राओं ने मौखिक तथा लिखित में तथा प्रथम वर्ष के कुल 28+1 छात्रों ने मौखिक तथा लिखित में अपने बयान दर्ज कराये।

प्रथम वर्ष के छात्र श्री हरिओम पाटीदार तथा अन्य पीड़ित छात्रों के मौखिक तथा लिखित बयानों के आधार पर एंटी रैगिंग कमीटी ने निम्न निष्कर्ष निकाले है:

(Dr. SK Arora) R. S. Sisodia

Tishant

- प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं द्वारा पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक शिकायत अधिष्ठाता और न ही महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक को की गई। और न ही इसकी सूचना शिकायत पेटियों (जो कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष कक्षा, कॉरिडोर्स में तथा कन्या छात्रावास में लगी है), एंटी रैगिंग कमीटी को या एंटी रैगिंग हेल्प लाईन (जिनकी जानकारी पोस्टर के माध्यम से महाविद्यालय परिसर में कई जगह तथा छात्रावासों में दी गई है तथा एंटी रैगिंग बाण्ड भी भरवाया गया है) को दी गई। यह सभी प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा कोई भी शिकायत नही की गई थी।
- महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी समय–समय पर सभी प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं से रैगिंग के बारे में पूछा जाता रहा परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नही दी गई। इसको भी प्रथम वर्ष के सभी छात्र–छात्राओं द्वारा स्वीकार किया गया।
- सभी प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं ने किसी भी फेकल्टी/प्राध्यापक के रैगिंग में सम्मिलित होनें अथवा उन्हे इसकी जानकारी होनें की बात पूर्णतः नकारी। छात्रों ने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं देने कि गलती भी स्वीकार की।
- पीड़ित छात्र द्वारा उठाया गया कदम, संभवतः उन्हे प्रथम वर्ष के ही छात्रों द्वारा अपनी बैच से बैच–ऑउट करने (बैच की गतिविधियों से अलग करना तथा बातचीत आदि नहीं करना) के कारण लिया गया और ये कुछ वरिष्ठ छात्रों के दबाव में हुआ है। इसकी पुष्टि प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं के बयानों से होती है।
- छात्रों के बयानों से स्पष्ट हुआ कि उनके साथ प्रशासन को अन्धेरे में रखते हुए चोरी छुपे रैगिंग की घटना की गई है। तथा उनके द्वारा सीनियर छात्रों के कोड नाम भी बताये गये। जबकि कुछ छात्र–छात्राओं ने रैगिंग नहीं होने की बात भी कही। छात्रों ने बताया कि रैगिंग की घटना शुरुआत में 3–4 बार हुई तथा उसके बाद बहुत कम हुई। विगत माह में कोई घटना नही हुई।
- एंटी रैगिंग कमीटी ने प्रथम वर्ष के छात्रों एवं पीड़ित के बयानों के आधार पर तथा तथ्यों पर विचार कर महाविद्यालय के निम्नलिखित छात्रों को रैगिंग का दोषी पाया है, जिनके नामों की पहचान प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा बताये गये वरिष्ठ छात्रों के कोड नाम तथा उनके मोबाइल नम्बर एवं वरिष्ठ छात्रों के फोटो देखकर की गई।

नाम	कोड नाम	अनुक्रमांक	कक्षा
श्री निकेतन पाटीदार	SD Derek	20150121	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री अश्विन	SD Virat	20150104	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री जुगल किशोर बोहरा	SD Pratap	20150114	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री गणेश सिंह पटेल	SD Rudra	20150110	स्नातक द्वितीय वर्ष

(Dr. S.K. Arora) R.S. Sisodia Tishant

उपरोक्त 04 छात्रों के ऊपर गंभीर आरोप होने के कारण महाविद्यालय की एंटी रैगिंग समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपरोक्त छात्रों को विश्वविद्यालय नियमावली "कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली– 2019" की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के तहत महाविद्यालय से 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने के साथ ही इन छात्रों का अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण करने की अनुसंशा करती है।

- छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत (कोड नाम – MSC Rajpoot)), रोल नम्बर 20151801 एम. एससी. (कृषि) पादप रोग विज्ञान को महाविद्यालय से 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने तथा 2 सेमेस्टर के लिए छात्रावास से निलंबित/ निष्कासित करने की अनुसंशा करती है।
- एंटी रैगिंग कमीटी द्वारा पाया गया कि प्रथम वर्ष के छात्रों ने निम्न 05 छात्रों के ऊपर रैगिंग से संबंधित गंभीर आरोप नही लगाए हैं परन्तु इनका रैगिंग में संलिप्त होना ज्ञात होता है:

नाम	कोड नाम	अनुक्रमांक	कक्षा
श्री तरुण यादव	TD Tiger	19150148	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री सूरज पाटीदार	TD Marshal	19150146	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री सावन राठौर	TD Royal	19150136	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री रितेश गुर्जर	SD Robin	20150140	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री संगम बिरले	SD Anshu	20150142	स्नातक द्वितीय वर्ष

उपरोक्त छात्रों के विरुद्ध समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, इन छात्रों को विश्वविद्यालय नियमावली "कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली– 2019" की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के तहत 2 सेमेस्टर के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों को रोकने के साथ ही छात्रावास से निलंबित/ निष्कासित करने की अनुसंशा करती है।

- रैगिंग के परिप्रेक्ष्य में ही प्रथम वर्ष की छात्राओं ने द्वितीय वर्ष की निम्नलिखित कुल 6 छात्राओं द्वारा रैगिंग लिए जाने बाबत शिकायत दर्ज कराई। समिति द्वारा रैगिंग न पाते हुए परिचय आदि लेने की बात पाई गई। शिकायतकर्ता छात्राओं ने यह भी निवेदन किया कि उक्त छात्राओं के विरुद्ध महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्यवाही नही की जाए परंतु उनमें सुधार हेतु मामूली रूप से हिदायत दी जाए अथवा दंडित किया जाये। जिन छात्राओं के नाम पर आरोप लगाए गए हैं वो निम्नानुसार है –

(Dr. SK Arora) R.S. Sisodia Tishant Bandhai

1. कु. योगिता धाकड़ – स्नातक द्वितीय वर्ष
2. कु. भारती तवर – स्नातक द्वितीय वर्ष
3. कु. इतिश्री राठौर – स्नातक द्वितीय वर्ष
4. कु. प्राची पाटीदार – स्नातक द्वितीय वर्ष
5. कु. अदिती दागोंडे – स्नातक द्वितीय वर्ष
6. कु. दीपिका नागर – स्नातक द्वितीय वर्ष

प्रथम वर्ष की छात्राओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वरिष्ठ छात्राओं के विरुद्ध समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, इन वरिष्ठ छात्राओं को विश्वविद्यालय नियमावली ''कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली– 2019'' की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के तहत 2 सेमेस्टर के लिए किसी क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समागम/टूर्नामेंट, युवा महोत्सव आदि से वंचित करने की अनुशंसा करती है तथा प्रत्येक छात्रा पर ₹ 1000 के अर्थदण्ड की अनुशंसा करती है। **समिति पीड़ित तथा प्रथम वर्ष के सभी छात्र–छात्राओं की पहचान तथा बयान आदि को पूर्णतः गोपनीय रखने की अनुशंसा करती है।**

सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।21

R. I. Sisodia

डॉ. आर. आई. सिसौदिया
सदस्य

डॉ. एस. के. अर्सिया
सदस्य

डॉ. डी. के. पालीवाल
सदस्य

Shukla

डॉ. रश्मि शुक्ला
सदस्य

श्री आर. एल. ठाकुर
सदस्य

Tishant

श्री तिशांत पाटीदार
सदस्य

पवनजाटव

श्री पवन जाटव
सदस्य

Mandloi

कु. सरिता मण्डलोई
सदस्य

डॉ. एस.पी. मिश्र
अध्यक्ष, एंटी रैगिंग कमीटी

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय,खण्डवा

DEAN
B.M. College of Agriculture,
Khandwa (M.P.)

RAJMATA VIJYARAJE SCINDIA
KRISHI VISHWA VIDYALAYA,GWALIOR
B. M. COLLEGE OF AGRICULTURE, KHANDWA - 450001
Tel: 91-733-2222119, (O)
Email:- dean.khandwa@rvskvv.net

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
भगवन्तराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय,
खण्डवा (म.प्र.) 450001
दूरभाष : 91-733-2222119 (O)
ई-मेल : dean.khandwa@rvskvv.net

क्रमांक / अधि0 / 2022 / 1222 — दिनांक 12 / 07 / 2022

प्रति,

अधिष्ठाता कृषि संकाय,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म0प्र0)

विषय :– कृषि महाविद्यालय खण्डवा में हुई रैगिंग की घटना पर कार्यवाही हेतु अनुसंशा के संबंध में।

महोदय,

पत्र क्रमांक / अधि0 / 2022 / 1194 दिनांक 08.07.2022 के क्रम में निवेदन है कि महाविद्यालय में दिनांक 08.07.2022 को हुई घटना की जाँच महाविद्यालय की एंटी रैगिंग कमीटी द्वारा की गई है, जिसका जांच प्रतिवेदन संलग्न है। एंटी रैगिंग नियमो को ध्यान में रखते हुए पीड़ित छात्र–छात्राओं के नाम और बयान गोपनीय रखने का प्रयास किया गया है। एंटी रैगिंग कमीटी द्वारा आरोपी छात्र–छात्राओं पर विश्वविद्यालय नियमावली ''कृषि संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रमों हेतु शैक्षणिक नियमावली – 2019'' की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के तहत निम्नानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है:

1. निम्न 04 छात्रों के ऊपर गंभीर आरोप होने के कारण एंटी रैगिंग समिति द्वारा 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने के तथा इन्हे कृषि महाविद्यालय, खण्डवा से अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण करने की अनुसंशा की गई है:

छात्र का नाम	अनुक्रमांक	कक्षा
श्री निकेतन पाटीदार	20150121	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री अश्विन	20150104	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री जुगल किशोर बोहरा	20150114	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री गणेश सिंह पटेल	20150110	स्नातक द्वितीय वर्ष

2. एम.एससी. (कृषि) पादप रोग विज्ञान के छात्र श्री धर्मपाल सिंह राजपूत, रोल नम्बर 20151801 को महाविद्यालय से 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने तथा 2 सेमेस्टर के लिए छात्रावास से निलंबित / निष्कासित करने की अनुसंशा की गई है।

पृष्ठ क्रमांक 2 पर जारी...

3. निम्न 05 छात्रों के रैगिंग में संलिप्त होने के आरोपी पाये जाने के कारण इन्हे 2 सेमेस्टर के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों को रोकने के साथ ही छात्रावास से निलंबित/निष्कासित करने की अनुसंशा की गई है:

नाम	अनुक्रमांक	कक्षा
श्री तरुण यादव	19150148	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री सूरज पाटीदार	19150146	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री सावन राठौर	19150136	स्नातक तृतीय वर्ष
श्री रितेश गुर्जर	20150140	स्नातक द्वितीय वर्ष
श्री संगम बिरले	20150142	स्नातक द्वितीय वर्ष

4. द्वितीय वर्ष की निम्नलिखित कुल 6 छात्राओं को 2 सेमेस्टर के लिए किसी क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समागम/टूर्नामेंट, युवा महोत्सव आदि से वंचित करने तथा प्रत्येक छात्रा पर ₹ 1000 के अर्थदण्ड की अनुशंसा की गई है:

1. कु. योगिता धाकड़ – स्नातक द्वितीय वर्ष
2. कु. भारती तवर – स्नातक द्वितीय वर्ष
3. कु. इतिश्री राठौर – स्नातक द्वितीय वर्ष
4. कु. प्राची पाटीदार – स्नातक द्वितीय वर्ष
5. कु. अदिती दागोंडे – स्नातक द्वितीय वर्ष
6. कु. दीपिका नागर – स्नातक द्वितीय वर्ष

निवेदन है कि इस संबंध मे उचित आदेश जारी करने का कष्ट करे।

सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय खण्डवा

क्रमांक/अधि./2022/1223 दिनांक– 12/07/2022

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक शिक्षण, रा.वि.सि.कृषि विश्वविद्याल ग्वालियर।
2. कुलसचिव, रा.वि.सि.कृषि विश्वविद्याल ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, रा.वि.सि.कृषि विश्वविद्याल ग्वालियर।
4. निजसचिव मान्नीय कुलपति महोदय, रा.वि.सि.कृषि विश्वविद्याल ग्वालियर।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय खण्डवा

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

अनिल सक्सैना
कुलसचिव

Ph- : 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)
E-mail- registrar@rvskvv.net

क्रमांक: कु.स./नि.स./91/2022/2466 ग्वालियर, दिनांक 18/07/2022

//आदेश//

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा के पत्र क्र./अधि./2022/1222 दिनांक 12/07/2022 एवं अनुशासन समिति (एन्टी रैगिंग सेल), कृषि महाविद्यालय, खण्डवा की अनुशंसा के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालय नियम पुस्तिका की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही (बिन्दु क्र 1 से 4 तक) की जाती है।

बिन्दु क्र.–1 चार छात्र जिनके नाम क्रमशः (दी गयी तालिका में) इनके ऊपर गंभीर आरोप होने के कारण अनुशासन समिति (एन्टी रैगिंग सेल), कृषि महाविद्यालय, खण्डवा की अनुशंसा के आधार पर 02 सेमेस्टर निष्कासन एवं कृषि महाविद्यालय, खण्डवा से अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण किये जाने का आदेश किया जाता है एवं इनको 02 सेमेस्टर के लिये छात्रावास से भी निष्कासन किया जाता है।

S. No.	*Name and Roll Number of Students*	*College where he was studying earlier*	*College where transferred due to disciplinary action*	*Suspension for V.V. Academic Calendar (2021-22)*
01	Niketan Patidar Roll No.-20150121	College of Agriculture, Khandwa	College of Agriculture, Gwalior	Suspension for 2 Semester
02	Aswin Roll No. 201501104		College of Agriculture, Sehore	Suspension for 2 Semester
03	Jugal Kisor Bohra Roll No.-20150114		College of Agriculture, Sehor	Suspension for 2 Semester
04	Ganesh Singh Patel Roll No.-20150110		College of Agriculture, Sehore	Suspension for 2 Semester

बिन्दु क्र.–2 में छात्र धर्मपाल सिंह राजपूत, एम.एस.सी. (पादप रोग विज्ञान) को 02 सेमेस्टर (2021–22) के लिए महाविद्यालय से एवं एक एकेडमिक वर्ष हेतु छात्रावास से निष्कासन किया जाता है।

बिन्दु क्र.–3 निम्न पॉच छात्रों जिनके नाम क्रमशः (दी गयी तालिका में) रैगिंग में संलिप्त होने के साक्ष्य मिलने के उपरांत 02 सेमेस्टर एवं मिलने वाली छात्रवृत्ति के साथ–साथ छात्रावास से भी निष्कासन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

S. No.	*Name and Roll Number of Students*	*Roll No.*	*Programme*
01	Tarun Yadav	19150148	B.Sc. (Ag.) 3rd Year
02	Suraj Patidar	19150146	B.Sc. (Ag.) 3rd Year
03	Sawan Rathor	19150136	B.Sc. (Ag.) 3rd Year
04	Ritesh Gurjar	20150140	B.Sc. (Ag.) 2nd Year
05	Sangam Birle	20150142	B.Sc. (Ag.) 2nd Year

निरंतर पृष्ठ..............2

बिन्दु क्र.–4 मे द्वितीय वर्ष की कुल छः छात्राए जिनके नाम क्रमशः (दी गयी तालिका में) रैगिंग मे संलिप्त होने के साक्ष्य मिलने के उपरांत 02 सेमेस्टर के लिये क्षेत्रीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय समागम / खेल स्पर्धाओं एवं युवा महोत्सव से वंचित रखे जाने के साथ ही रू. 1000/– के अर्थदण्ड वसूलने का आदेश दिया जाता है।

S. No.	*Name of Students*	*Programme*
01	*Ku. Yogita Dhakad*	*B.Sc. (Ag.) 2nd Year*
02	*Ku. Bharti Tawar*	*B.Sc. (Ag.) 2nd Year*
03	*Ku. Itishri Rathore*	*B.Sc. (Ag.) 2nd Year*
04	*Ku. Prachi Patidar*	*B.Sc. (Ag.) 2nd Year*
05	*Ku. Aditi Dagode*	*B.Sc. (Ag.) 2nd Year*
06	*Ku. Dipika Nagar*	*B.Sc. (Ag.) 2nd Year*

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांकः कु.स. / नि.स. / 91 / 2022 / 2467 ग्वालियर, दिनांकः 18 / 07 / 2022

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक, शिक्षण एवं छात्र कल्याण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

कुलसचिव

कार्यालय, कुलसचिव

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय

राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर ४७४००२ (म.प्र.)

क्रमांक/कु.स./आदेश/2022-23/2485 दिनांक: 20/07/2022

//शुद्धिपत्र//

कार्यालय के पत्र क्रमांक कु.स./वि.स./01/2022/2406 ग्वालियर, दिनांक 18/07/2022 के तारतम्य में निम्न संशोधन किये जा रहे है।

1. पंक्ति क्र. 3 में कंडिका 15.1 के स्थान पर कंडिका 15.1 तथा 15.3 (द) पढ़ा जावे।
2. बिन्दु क्र. 3 की द्वितीय पंक्ति में 02 सेमेस्टर एवं के स्थान पर 02 सेमेस्टर में पढ़ा जावे।

(माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार।)

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक/कु.स./आदेश/2022-23/[illegible] दिनांक: [illegible]/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :-

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक, शिक्षण एवं छात्र कल्याण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा/ग्वालियर/सीहोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. माननीय कुलपति महोदय जी के निज सचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

कुलसचिव

भ.म. कृषि महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

रैगिंग विरोधी समिति

डॉ. एस.पी मिश्रा अधिष्ठाता	94251 86242
डॉ. आर.आई. सिसोदिया प्राध्यापक	79871 60355
डॉ. डी.के.पालीवाल प्राध्यापक	94250 75620
डॉ. एस.के. अर्सिया सहायक प्राध्यापक	94258 51507
डॉ. रश्मि शुक्ला वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	99771 76654
श्री आर.एल. ठाकुर स्टेनो टायपिस्ट	88189 69887
श्री आयुष पाटीदार छात्र प्रतिनिधि	70497 42409
कु. दीक्षा पटेल छात्रा प्रतिनिधि	77229 23824
कु. मेहरोज छात्रा प्रतिनिधि	97708 80675
श्री तिशांत पाटीदार छात्र प्रतिनिधि	99283 94766
श्री पवन जाटव छात्र प्रतिनिधि	79995 23087
कु. सरिता मण्डलोई छात्रा प्रतिनिधि	91112 46242

मान. पुलिस अधिक्षक द्वारा नामित सदस्य

मान. जिलाधीश द्वारा नामित सदस्य

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.

Action Taken on Complaint No. MP_0051

me 12 Jul 2022

to helpline, sp_khandwa, spokhd,...

Dear Sir/ madam,

It is submitted that the enquiry has been conducted by the College administration and anti-ragging committee of the College. The statements of the victim and other students of B.Sc. (Hons) Agri first year have been taken and discussed by the committee. The statements of second year students were also taken. After discussion and findings, the committee recommended punishment for some students, who were found guilty as per the University rules and regulations. The recommendations have been sent to the University authorities for final decisions and issuing necessary orders. Further actions in this case will be informed.

Thanking you

R. V.S. KRISHI VISHWA VIDYALAYA,
B. M. COLLEGE OF AGRICULTURE,
KHANDWA (M.P.) Pin-450001
Tel: 91-733-2222119 (O)
Mobile- 9425128711
Email:- dean.khandwa@rvskvv.net
Personal Email ID - upsb2007@gmail.com

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
भगवन्तराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय,
खण्डवा (म.प्र.) पिन-450001
दूरभाष : 91-733-2222119 (O)
मोबाईल न.- 9425128711
ई-मेल : dean.khandwa@rvskvv.net
Personal Email ID - upsb2007@gmail.com

क्र/अधि/20-2021/36 दिनांक : 06/01/2021

आदेश

भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय, खण्डवा रेगिंग विरोधी समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया गया है :-

1. डॉ. यू.पी.एस. भदौरिया, अधिष्ठाता (मो.- 9479478711)
2. डॉ. आर.आई. सिसोदिया, प्राध्यापक (मो.-7987160355)
3. श्री सुभाष रावत, वैज्ञानिक (मो.-8839858466)
4. श्री एस.के. अरसिया, सहायक प्राध्यापक (मो.- 9425851507)
5. श्री एम.के. गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (मो.-9826503410)
6. डॉ. रश्मि शुक्ला, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (मो.-9977176654)
7. श्री आर.एल. ठाकुर, स्टेनो टायपिस्ट (मो.-8818969887)
8. छात्रा प्रतिनिधि कृतिका सैनी (मो.-8989119368)
9. छात्रा प्रतिनिधि शालिनी गिन्नारे (मो.-9340093163)
10. छात्र प्रतिनिधि - सुखदेव खाण्डे (मो.-6264396747)
11. छात्रा प्रतिनिधि - मेहरोज (मो.-9770880675)
12. छात्रा प्रतिनिधि- नित्या पाटीदार (मो.-6267231706)

Bhadoria 06/1/2021
अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, खण्डवा

RAJMATA VIJYARAJE SCINDIA
KRISHI VISHWA VIDYALAYA,GWALIOR
B. M. COLLEGE OF AGRICULTURE, KHANDWA - 450001
TEL: 91-733-2222119, (O)
Email:- dean.khandwa@rvskvv.net

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
भगवन्तराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय,
खण्डवा (म.प्र.) 450001
दूरभाष : 91-733-2222119 (O)
ई-मेल : dean.khandwa@rvskvv.net

क्रमांक / अधि0 / स्था0 / 2022 / 1393 — दिनांक 12 / 08 / 2022

प्रति,

अधिष्ठाता कृषि संकाय
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर–474002 (म0प्र0)

विषय :– कृषि महाविद्यालय खण्डवा के द्वितीय वर्ष के छात्र जुगल किशोर बोहरा के पिता श्री सुरेश चंद्र बोहरा द्वारा प्रेषित ई– मेल बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्र कं / अ.कृ.स. / 2022–23 / 579 दिनांक 08 / 08 / 2022

******

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित एवं विषयांतर्गत पत्र के तारतम्य में लेख है कि कृषि महाविद्यालय खण्डवा की एंटी रैगिंग समिति की दिनांक 11.07.2022 को आयोजित बैठक में महाविद्यालय के अन्य छात्रों के साथ ही छात्र जुगल किशोर बोहरा को भी स्पष्टतः रैगिंग का प्रामाणिक रूप से दोषी पाया गया था। उक्त बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन प्रमाणों के साथ महाविद्यालय की एंटी रैगिंग समिति की ओर से तथ्यों की भली भाती जाचकर आपको उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त कार्यवाही प्रतिवेदन पर मान्नीय कुलपति जी, रा0वि0सि0कृ0वि0वि0, ग्वालियर के आदेशानुसार विश्व विद्यालय के कुलसचिव महोदय द्वारा दिनांक 18.7.2022 को पत्र क्रं / कु0स0 / नि0स0 / 91 / 2022 / 2466 द्वारा रैगिंग मे दोषी पाये गये समस्त छात्रों तथा छात्राओं हेतु पारित किया गया था। तदनुसार सभी छात्रों तथा छात्राओं पर महाविद्यालय की ओर से कार्यवाही की गई।

महाविद्यालय की एंटी रैगिंग समिति द्वारा उल्लेखित किसी भी छात्र अथवा छात्रा के साथ काई भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है।

महाविद्यालय द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक / अधि0 / स्था0 / 2022 / 1304 दिनांक 27 / 07 / 2022 के माध्यम से इस संपूर्ण प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। पुनः संपूर्ण प्रकरण को समाप्त करने की विनती करते है।

अधिष्ठाता
बी0एम0कृषि महाविद्यालय, खण्डवा
दिनांक 12 / 08 / 2022

पृ0कमांक / अधि0 / 2022 / 1394
प्रतिलिपि :–

1. कुलसचिव, रा0वि0सि0कृ0वि0वि0, ग्वालियर।
2. निजसचिव, मान्नीय कुलपति जी महोदय, रा0वि0सि0कृ0वि0वि0, ग्वालियर।

अधिष्ठाता
बी0एम0कृषि महाविद्यालय, खण्डवा